न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)
(बइजलास पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0)

वाद संख्या 36 सन् 2020 निर्णय दिनांक 5.11.2020

सुमेरसिंह पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहेब, राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादी

उपस्थिति :–

1. श्री उम्मेदसिंह पूनियां अधिवक्ता – वास्ते वादी
2. प्रतिवादी पैरोकार राज – श्रीमान् नायब तहसीलदार

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट व धारा 136 भू राजस्व अधि0।

–: निर्णय :–

वादी द्वारा घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट व धारा 136 भू राजस्व अधि0 निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – कृषि भूमि खाता सं. 65 ख0नं0 665/415 तादादी 2.3902 हैक्टेयर, ख0नं0 669/458 तादादी 2.3143 हैक्टेयर, ख0नं0 670/629 तादादी 2.2764 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9809 हैक्टेयर वाके रोही चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसका खातेदार वादी का पिता गोपाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू रहा है। वादी के पिता गोपाल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि मृतक गोपाल के जायज वारिसान उसकी पत्नी रूकमा, पुत्रिया कमलेश, बीरमा व संतोष तथा पुत्रगण राजवीर व वादी स्वंय सुमेरसिंह के बहिस्सा बराबर ज़रिए विरास्तन इंतकाल सं. 1504 दिनांक 24.12.2018 दर्ज हुई है जिसमें वादी 1/6 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि ही विवादित है। वास्ते अवलोकन राजस्व रिकार्ड संलग्न वाद है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि में वादी 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उपरोक्त दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के स्वंय का नाम गलती से भूलवश इंतकाल दर्ज करते समय शेरसिंह पुत्र गोपाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के स्वंय का

उपखण्ड अधिकारी

असल व रिकार्डेड नाम सुमेरसिंह पुत्र गोपाल है। इस लिए वादी उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम शेरसिंह के स्थान पर अपना असल नाम सुमेरसिंह पुत्र गोपाल की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवानें का अधिकारी है जिस हेतु वादी द्वारा यह वाद घोषणात्मक व दुरूस्ती रिकार्ड हेतु पेश किया जा रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, आदि में तथा अन्य कृषि भूमि खाता सं. 15 ख0नं0 137 तादादी 4.8056 वाके रोही कलालकोटड़ा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम सुमेरसिंह पुत्र गोपाल ही दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में गलत नाम शेरसिंह के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र गोपाल की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि कर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी नें राजस्व रिकार्ड व इंतकाल की नकलें प्राप्त की तो वादी को अपना नाम गलत दर्ज होनें की जानकारी प्राप्त हुई है। जिस पर वादी नें प्रतिवादी को काफी कहा व कहलवाया तथा आवेदन भी किया कि वो उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी के गलत नाम के स्थान पर सही व रिकार्डेड नाम की घोषणा करते हुए राजस्व रिकार्ड में सही व रिकार्डेड नाम दर्ज कर देवे लेकिन प्रतिवादी नें ऐसा करने व कराने से ब मुकाम राजगढ़ में दिनांक 13.02.2020 को साफ इंकार कर दिया लिहाजा यही तारीख वाद कारण व वादाधार है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि कृषि भूमि हाल खाता सं. 65 ख0नं0 665/415 तादादी 2.3902 हैक्टेयर, ख0नं0 669/458 तादादी 2.3143 हैक्टेयर, ख0नं0 670/629 तादादी 2.2764 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9809 हैक्टेयर वाके रोही चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी के गलत नाम शेरसिंह के स्थान पर वादी का असल व रिकार्डेड नाम सुमेरसिंह पुत्र गोपाल की घोषणा की जाकर विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत नाम शेरसिंह के स्थान पर वादी का असल व रिकार्डेड नाम सुमेरसिंह पुत्र गोपाल दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया गया। तथा तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू से जरिए पत्र क्रमांक 2019/225 दिनांक 25.02.2020 से रिपोर्ट मंगवाई गईं। जिस पर प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये व पत्र कमांक 2019/225 दिनांक 25.02.2020 की पालना में पटवारी हल्का चैनपुरा छोटा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.08.2020 को न्यायालय हाजा में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम शेरसिंह

उपखण्ड अधिकारी

पुत्र गोपाल के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र गोपालराम दर्ज किये जानें में सहमति प्रदान की तथा कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

वादी द्वारा अपनें वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तरकरण सं. 1504, हाल जमाबंदी खाता सं. 15 रोही कलाल कोटड़ा, हाल जमाबंदी खाता सं. 65, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, भारत गैस पासबुक, बैंक पासबुक, भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी, शैक्षिक दस्तावेज, भामाशाह, एस.बी.आई. बीमा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाल राम, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, विद्युत बिल आदि पेश किये गये जिनका तथा तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

वादी नें अपनें वाद के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेजात पेश किए है तथा तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू नें अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए पैरोकार राज ने राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया है। इसलिए वाद वादी के हक में डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश है कि विवादित कृषि भूमि कृषि भूमि खाता सं. 65 ख0नं0 665/415 तादादी 2.3902 हैक्टेयर, ख0नं0 669/458 तादादी 2.3143 हैक्टेयर, ख0नं0 670/629 तादादी 2.2764 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9809 हैक्टेयर वाके रोही चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम शेरसिंह पत्र गोपाल के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र गोपालराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करते हुए वादी का नाम शुद्ध कर दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)